

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2766
उत्तर देने की तारीख-12/08/2026

विश्वविद्यालयों में रिक्तियां

2766 श्री रायगा कृष्णैया:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों तथा सम विश्वविद्यालयों में रिक्त शिक्षण पदों का देशव्यापी आकलन किया है;
- (ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक श्रेणी में स्वीकृत शिक्षण पदों, भरे गए पदों तथा रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी है;
- (ग) क्या शिक्षक की कमी शिक्षण गुणवत्ता, शोध परिणाम, विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात तथा प्रत्यायन को प्रभावित कर रही है; और
- (घ) इन रिक्तियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दोनों देश में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) और स्कूलों के लिए जिम्मेदार हैं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाएं (सीएचईआई) संसद के संबंधित केन्द्रीय अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं और उनके अंतर्गत बनाए गए अधिनियमों/संविधियों/अध्यादेशों/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होते हैं। स्वायत्त संस्थाओं के रूप में, संकाय भर्ती संस्थानों के भीतर ही उनके अधिनियमों और विनियमों के अनुसार की जाती है। भर्ती की शक्तियां संबंधित शासी मंडल/कार्यकारी समिति/प्रबंधन बोर्ड के पास निहित हैं।

राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधित राज्य अधिनियमों के माध्यम से की जाती है और उनमें रिक्तियों को संबंधित राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं भरा जाता है। राज्य विश्वविद्यालयों के रिक्त के ब्यौरे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की सलाह पर केन्द्र सरकार द्वारा किसी संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है। सम विश्वविद्यालय संस्थानों को यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार यूजीसी द्वारा विनियमित किया जाता है। इन विनियमों के अनुसार, संस्थान की कार्यकारी परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपाय) विनियम, 2018 के अनुसार, चयन समिति की सिफारिश पर संकाय कर्मचारियों और ऐसे अन्य पदों पर नियुक्ति करती है।

रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, नई संस्थाओं, योजनाओं या परियोजनाओं के खुलने और छात्रों की बढ़ी हुई संख्या और मौजूदा संस्थानों में क्षमता के विस्तार के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती हैं।

केंद्र द्वारा वित्तपोषित उच्चतर शिक्षा संस्थानों में, गुणवत्ता संकायों को आकर्षित करने के लिए उपाय किए गए हैं जिनमें वर्ष भर खुले विज्ञापन, खोज-सह-चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से भर्ती, विशेष भर्ती अभियान, मिशन मोड भर्ती और पूर्व छात्रों/वैज्ञानिकों/संकाय को आमंत्रित करना आदि शामिल हैं। सीएचईआई द्वारा बहु-चरणीय और सुदृढ़ जाँच प्रक्रिया के हिस्से के रूप में पारदर्शी तरीके से आवेदन आमंत्रित करके संकाय भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाती है। विभिन्न संस्थानों के अधिनियम और कानून चयन समितियों की संरचना, संकाय के विभिन्न स्तरों की भर्ती के लिए जिम्मेदार प्राधिकरणों, स्वतंत्र विषय विशेषज्ञों और विजिटर नॉमिनी आदि के प्रावधान को निर्दिष्ट करते हैं ताकि भर्तियों में पारदर्शिता और अकादमिक शुचिता सुनिश्चित की जा सके। यूजीसी ने संकाय भर्ती के लिए एक सामान्य पोर्टल 'सीयू-चयन' शुभारंभ किया है, जिसमें सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों/विज्ञापनों/नौकरियों को सूचीबद्ध करने का प्रावधान दिया गया है, इस प्रकार पूरी भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में पहलों के एक सेट के माध्यम से उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने पर जोर दिया गया है, जिसमें बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देना, महत्वपूर्ण सोच और विश्लेषणात्मक क्षमता का पोषण करना, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार, प्रभावी और गुणात्मक शिक्षक प्रशिक्षण आदि शामिल हैं।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए, केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में कई पहलों को संस्थागत रूप दिया गया है। भारत सरकार उच्चतर शिक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)/प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा) योजना के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार ने शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार, संस्थागत प्रदर्शन को मजबूत करने और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में बेहतर शैक्षणिक परिणामों को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 2023 में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमएमटीटीपी) भी शुरू किया है। यह कार्यक्रम

151 मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों (एमएमटीटीसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। अब तक देश भर में 4 लाख से अधिक संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

अगस्त, 2021 में, शिक्षा मंत्रालय के तहत सभी सीएचईआई से अनुरोध किया गया था कि वे अपने संस्थानों में बैकलॉग रिक्तियों को मिशन मोड में भरने के लिए विशेष अभियान चलाएं। सीएचईआई ने अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) सहित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया। सितंबर 2022 में, शिक्षा मंत्रालय ने सभी सीएचईआई को मिशन मोड में रिक्तियों को भरने के लिए प्रोत्साहित भी किया था। अक्टूबर 2025 में, सभी सीएचईआई से सभी बैकलॉग रिक्तियों को मिशन मोड में भरने का फिर से अनुरोध किया गया है। सितंबर 2022 से, केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) सहित सभी सीएचईआई ने रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड भर्ती अभियान शुरू किया है। 23.05.2026 (अर्थात पिछले रोजगार मेले की तारीख) तक, मिशन मोड में 18757 संकाय पदों सहित सभी सीएचईआई द्वारा कुल 32114 पदों को भरा गया है
